

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा
उरसखां बनाम पुनेखां वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-139/2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2025	वादी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्णोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।	
19/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने धारणा पत्र पत्रावली पेशी पर लेने बाबल पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ही आवे। वकील वादी के धारणा पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ही गई। वादी वकील ने धारणा पत्र वाले वाद विद्ने उरने बाबल पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान- के उद्यरण मे हमारे गोव के भोजीज लोगो ने आपसी सन्तुष्ट करके शर्जीनामा उखा दिया है उल्लिख हम उक्त उद्यरण से आगे नही चलाना चाहते है तथा उक्त राजस्व वाद से उरने स्टेज पर विद्ने उरना चाहते है उक्तलिखे उक्त वाद से आगे शर्जीनामा विद्ने फरमाया जावे।</p> <p>वादी वकील द्वारा प्रस्तुत धारणा पत्र से भाषित- मे स्वीकार किया जाउर उक्त अनवान के उद्यरण से आगे शर्जीनामा विद्ने किया जाला है पत्रावली फसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p style="text-align: right;">3221/2025</p> <p style="text-align: right;">(वकील वादी)</p>

